R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड XI ◆ अंक 3
सितंबर 2014

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

## आम जनता की जागरूकता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के सरलीकृत केवाईसी उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमजनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 26 अगस्त 2014 को बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों वाले एक पोस्टर और पुस्तिका (www.rbi.org.in पर उपलब्ध) के साथ एक नोट जारी किया है

**सरलीकरण हेतु किए गए उपाय:**

- *पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए एक ही दस्तावेज*

यदि बैंक खाता खोलने के लिए प्रस्तुत अधिकारिक वैध दस्तावेज (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड) में व्यक्ति की पहचान और पता दोनों हैं तो और कोई अन्य दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नाम, पते, आयु, लिंग आदि जैसे व्यक्तिगत ब्योरे और ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वेरूप यूआईडीएआई से उपलब्ध कराए फोटोग्राफों को भी 'अधिकारिक वैध दस्तावेज' माना जा सकता है।

- *वर्तमान पते के लिए अलग से पते के प्रमाण को आवश्यकता नही*

चूंकि बैंक खाता खुलवाते समय प्रवासी श्रमिक, स्थानांतरित कर्मचारी आदि वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करते समय प्रायः कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसे ग्राहक बैंक खाता खुलवाते समय या आवधिक अद्यतन के समय केवल एक ही पते का प्रमाण (वर्तमान या स्थायी) प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वर्तमान पता ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए पते के प्रमाण में उल्लिखित पते से भिन्न है तो अपने वर्तमान पते के बारे में उसके द्वारा एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी।

- *एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते अंतरित करते समय अलग से केवाईसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं*

बैंक की एक शाखा द्वारा केवाईसी किए जाने के बाद यह उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में खाता अंतरित करने के लिए वैध है। ग्राहक को बिना किसी प्रतिबंध के और संपर्क के लिए उसके स्थानीय पते की घोषणा के आधार पर एक शाखा से दूसरी शाखा में अपना खाता अंतरित करने की अनुमति होगी।

- *लघु खाते*

जिन व्यक्तियों के पास कोई भी 'अधिकारिक वैध दस्तावेज' नहीं है, वे बैंक में 'लघु खाते' खोल सकते है। 'लघु खाता' स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ के आधार पर और बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर या अंगूठे का निशान लगाकर खोला जा सकता है। ऐसे खातों की सकल जमा (एक वर्ष मे एक लाख से अधिक नहीं), सकल आहरण (एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं) और खातों में शेषराशि (किसी भी समय 50,000 रुपए से अधिक नहीं) के संबंध में सीमाएं हैं। ये लघु खाते सामान्यतः बारह महीनों की अवधि के लिए वैध होंगे। तत्पश्चात ऐसे खातों को और बारह महीनों के लिए जारी रखने की अनुमति होगी यदि खाताधारक एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो यह दिखाता हो कि उसने लघु खाता खोलने के बारह महीनों के अंदर किसी अधिकारिक वैध दस्तावेज के लिए आवेदन किया है।

- *कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए अधिकारिक वैध दस्तावेजो (ओवीडी) के संबंध में रियायत*

यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त अधिकारिक वैध दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है किंतु बैंको द्वारा उसे 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो वह इन दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर बैंक खाता खोल सकता है-(ए) केंद्रीय/ राज्य सरकार विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिजिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटोग्राफ सहित पहचान पत्र; (बी) व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ सहित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।

- *केवाईसी का आवधिक अद्यतन*

मौजूदा कम/मध्यम और उच्च जोखिम ग्राहकों के लिए केवाईसी अद्यतन के लिए सामयिक अंतराल क्रमशः 5/2 वर्ष से बढ़ाकर 10/8/2 वर्ष कर दिया गया है।

- *अन्य रियायत*

(i) स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलते समय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सभी सद्स्यों का केवाईसी सत्यापन आवश्यक नहीं है और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारियों का सत्यापन ही पर्याप्त होगा। स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट की लिंकिंग के समय अलग से केवाईसी की आवश्यकता नहीं है।

(ii) विदेशी छात्रों को स्थानीय पते का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

(iii) यदि कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहक वास्तविक कारणों से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह खाता खोलने की तारीख से छह महीने के अंदर बैंक को दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| • आम जनता की जागरूकता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के सरलीकृत केवाईसी उपाय | 1 |
| **नीति** | |
| • इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में स्पष्टीकरण | 2 |
| • निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु आयु की अधिकतम सीमा | 2 |
| • बैसेल- III चलनिधि विवरणियां | 2 |
| • ग्राहक उचित तत्परता उपाय | 2 |
| • निष्क्रिय खातों पर स्पष्टीकरण | 2 |
| • क्रेडिट निर्णयों के लिए समयसीमा | 3 |
| • छात्रवृत्ति की राशि जमा करने के लिए खोले गए खाते | 3 |
| **भुगतान और निपटान प्रणाली** | |
| प्रदत्त सरकारी चेकों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में संशोधन | 3 |
| **फेमा** | |
| • भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार | 3 |
| • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक - हेजिंग सुविधाएं | 4 |
| • उचित देयराशि के बदले इक्विटी शेयरों की निर्गम | 4 |
| • स्वर्ण आयात विवरण पर आंकड़े | 4 |
| **सहकारी बैंकिंग** | |
| • शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियां और देयताएं वाणिज्यिक बैंकों को अंतरित करना | 4 |
| **आंकड़ों का प्रकाशन** | |
| • पहली तिमाही में निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन | 4 |
| **रिपोर्ट** | |
| • बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण पर समिति | 4 |

## नीति

### इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने 9 सितंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) और अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को सूचित किया की किसी समूह की एकल उधारकर्ता कंपनी के इरादतन चूक संबंधी मामले में कार्रवाई करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कंपनी विशेष के ट्रैक रिकॉर्ड पर उसके उधारदाताओं के प्रति उसके चुकौती निष्पादन को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में जहां समूह के भीतर की कंपनियों द्वारा इरादतन चूककर्ता इकाइयों की और से दी गई जमानत को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्मोचित किए जाने पर नकार दिया गया हो तब समूह की ऐसी कंपनियों को भी इरादतन चूककर्ताओं के रूप में माना जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि जब मुख्य ऋणी द्वारा चुकौती किए जाने में किसी प्रकार की चूक की गई हो तब बैंकर भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128 के अनुसार मुख्य ऋणी के विरुद्ध उपचारों का सहारा लिए बिना भी जमानतदार/जमानती के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जमानतदार की देयता मुख्य ऋणी की देयता के साथ बढती है जब तक कि संविदा में इसके विपरीत कोई प्रावधान न किए गए हों। इस प्रकार, जब बैंकर ने मुख्य ऋणी द्वारा चूक किए जाने के कारण जमानतदार पर दावा किया हो तो जमानतदार की देयता अविलंब उत्पन्न होती है। कथित जमानतदार द्वारा पर्याप्त राशि के होते हुए भी देयराशि के भुगतान के लिए लेनदार/बैंकर द्वारा की गई मांग को पूरा करने से मना कर दिया गया हो तो ऐसे जमानतदार को भी इरादतन चूककर्ता माना जाएगा। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह भावी प्रभाव से ही लागू होगा और ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां जमानत इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख से पहले स्वीकार की गई है। बैंक/वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि जमानत स्वीकार करते समय सभी भावी जमानतदारों को इस आशय की जानकारी दी जाए।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे जमानतदारों के संबंध में भी इरादतन चूक के उदाहरणों की पहचान करने और रिपोर्टिंग करते समय प्रावधानों का अनुसरण करने में पर्याप्त सावधानी बरतें। रिजर्व बैंक को ऐसे नामों की रिपोर्ट करते समय बैंक/वित्तीय संस्थाएं जमानतदार के नाम के आगे कोष्ठक में ''जमानतदार'' शामिल करें और इसे निदेशक के कालम में दर्शाएं।

### निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु आयु की अधिकतम सीमा

रिज़र्व बैंक ने 9 सितंबर 2014 को सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया है कि भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के पद के लिए आयु की अधिकतम सीमा 70 वर्ष होगी अर्थात् इसके बाद कोई भी अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा। 70 वर्ष की उक्त समग्र सीमा के अंतर्गत प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल को अपनी आंतरिक नीति के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित पूर्णकालिक निदेशकों के लिए इससे कम सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

रिज़र्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के पद हेतु आयु की अधिकतम सीमा के निर्धारण संबंधी मामले की कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधानों के आलोक में जांच की है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 'कोई भी कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और सेवा में नहीं बनाए रखेगी जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो या जिसने 70 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो'।

### बैसेल- III चलनिधि विवरणियां

रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों/विदेशी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि बैंकों द्वारा निश्चित निर्धारित चलनिधि विवरणियां प्रस्तुत कराई जाएं जिससे कि तनावपूर्ण परिदृश्यों में संभावित चलनिधि अवरोधों के लिए उनके लचीलेपन की निगरानी की जा सके। वैश्विक परिचालन को कवर करने वाली और सितंबर 2014 से प्रभावी होने वाली इन विवरणियों में (i) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर विवरण - बीएलआर-1 मासिक, (ii) निधियन संकेंद्रण पर विवरण - बीएलआर-2 मासिक (iii) उपलब्ध भारमुक्त आस्तियों का विवरण - बीएलआर-3 तिमाही, (iv) महत्वपूर्ण करेंसी द्वारा एलसीआर - बीएलआर-4 मासिक, (v) चलनिधि संबंधी अन्य सूचना पर विवरण - बीएलआर-5 मासिक हैं। उपर्युक्त विवरणियों को एक्सबीआरएल प्लेटफार्म में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने और आंकड़ों की सत्यता संबंधी अनुदेशों का पालन नहीं करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार दंडात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं।

### ग्राहक उचित तत्परता उपाय

रिज़र्व बैंक ने 4 सितंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि वे निम्नलिखित ग्राहक उचित तत्परता उपायों का पालन करें:

i. खाता आधारित संबंध शुरू करते समय ग्राहक उचित तत्परता उपाय करें। इन उपायों में विश्वसनीय और स्वतंत्र सूचना तथा आंकडे या प्रलेख के आधार पर ग्राहक और लाभार्थी स्वामी की पहचान करना और सत्यापन करना शामिल है।

ii. क्रमशः उच्च/मध्यम/कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में दो/आठ/दस वर्षों के अंतराल पर मौजूदा ग्राहकों पर ग्राहक उचित तत्परता उपाय लागू करें।

iii. मौजूदा ग्राहकों के लिए चालू उचित तत्परता बरतें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके लेनदेन ग्राहक, उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल और यथाआवश्यक निधियों के स्रोत के बारे में बैंक की जानकारी के अनुरूप हैं।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे क्रमशः मध्यम और कम जोखिम ग्राहकों के संबंध में दो/आठ/दस वर्षों पर 'सकारात्मक पुष्टि' प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करें जैसाकि 1 जुलाई 2014 को जारी इसके मास्टर परिपत्र में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, क्रमशः उच्च/मध्यम/कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में दो/आठ/दस वर्षों के अंतराल पर मौजूदा ग्राहकों पर ग्राहक उचित तत्परता उपाय लागू करने की आवश्यकता जारी रहेगी और यह ध्यान रखा जाएगा कि पहले क्यों और कब ग्राहक उचित तत्परता उपाय किए गए हैं और आंकड़ों की पर्याप्तता का ध्यान रखा जाएगा। तथापि, ऐसे आवधिक अद्यतन के समय पर ग्राहकों की वास्तविक उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाए।

रिज़र्व बैंक ने 'ग्राहक उचित तत्परता उपायों' पर ऐसे ही अनुदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 9 सितंबर 2014 को और शहरी सहकारी बैंकों को 16 सितंबर 2014 को जारी किए थे।

### निष्क्रिय खातों पर स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने 1 सितंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि चूंकि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार शेयरों पर लाभांश बचत बैंक खातों में जमा कराया जाता है, इसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाए। अतः खाते को तब तक सक्रिय खाता माना जाए जब तक लाभांश बचत बैंक खाते में जमा कराया जाता है। बचत बैंक खाते को लाभांश की अंतिम क्रेडिट प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही निष्क्रिय माना जा सकता है बशर्ते कि कोई अन्य ग्राहक प्रेरित लेनदेन न हो। रिज़र्व बैंक ने निष्क्रिय खातों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 9 सितंबर 2014 और शहरी सहकारी बैंकों को 11 सितंबर 2014 को स्पष्टीकरण जारी किया।

इससे पहले 22 अगस्त 2008 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों में अदावा जमाराशियों/निष्क्रिय खातों पर परिपत्र जारी किया जिसके संबंध में बचत बैंक और चालू खाते को निष्क्रिय खाता माना जाए यदि ऐसे खाते में दो वर्षों से अधिक अवधि में कोई लेनदेन नहीं हुआ हो। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन से दोनों प्रकार के लेनदेन अर्थात ग्राहकों और तृतीय पक्षकार द्वारा प्रेरित डेबिट और क्रेडिट लेनदेनों पर विचार किया जाए।

## क्रेडिट निर्णयों के लिए समयसीमा

रिज़र्व बैंक ने 1 सितंबर 2014 को वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि वे उचित समयसीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए उचित निगरानी व्यवस्था शुरू करें। तथापि, यह बार-बार कहा गया है कि उचित तत्परता आवश्यकताओं पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। बैंक अपनी वेबसाइटों, सूचना-बोर्डों, उत्पाद साहित्य आदि के माध्यम से ऋण निर्णय देने के लिए समयसीमा पर उचित प्रकटीकरण भी करें। इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस परिपत्र की तारीख के 30 दिन के अंदर उपर्युक्त प्रणाली शुरूकरें।

यह सूचना रिज़र्व बैंक द्वारा यह देखने के बाद आई है कि बैंकों की तरफ से अपने ऋण निर्णय देने में अत्यधिक विलंब हुआ है जिसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है। जबकि बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण निर्णय करने से पहले आवश्यक उचित तत्परता बरतें, बड़ी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध और पर्याप्त ऋण उपलब्धता एक पहली आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2003 को निर्धारित किया था कि ₹ 2 लाख तक के ऋण आवेदनों को निपटाने की समयसीमा ऋण आवेदन स्वीकार करते समय इंगित की जानी चाहिए। यह महसूस किया गया है कि अन्य प्रकार के ऋणों के मामले में भी समयबद्ध निर्णय लेने की ऐसी ही प्रक्रिया की आवश्यकता है।

## छात्रवृत्ति की राशि जमा करने के लिए खोले गए खाते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 सितंबर 2014 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत सभी लाभार्थी छात्रों के खाते 'न्यूनतम शेष' और 'कुल क्रेडिट सीमा' के प्रतिबंधों से मुक्त हों। तथापि, बम्बई उच्च न्यायालय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में लाया है कि बैंक प्राथमिक, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए खोले गए शून्य शेष वाले खातों में कुल क्रेडिट पर सीमा निर्धारित कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में जहां छात्रवृत्ति की राशि क्रेडिट सीमा से अधिक होती है तो बैंक क्रेडिट की अनुमति नहीं देते हैं और उस राशि को सरकार के संवितरण खाते में वापिस भेज देते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में यह रिपोर्ट किया गया है कि बैंकों ने संबंधित लाभार्थी विद्यार्थियों को सूचित किए बिना शून्य शेष खातों को एकतरफा बंद कर दिया है। बैंकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए शून्य शेष खाता खोलने से इन्कार करने के मामले भी रिज़र्व बैंक के ध्यान में आए हैं।

# भुगतान और निपटान प्रणाली

## प्रदत्त सरकारी चेकों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 सितंबर 2014 को सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया है कि महा लेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ने अनुमोदित किया है कि संबंधित सरकारी विभागों को अदा किए गए सरकारी चेक वापस भेजने संबंधी अपेक्षा को समाप्त किया जाए। तदनुसार 1 अक्तूबर 2014 से 'सरकारी कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों को जारी अनुदेशों के ज्ञापन' में निम्नलिखित संशोधन प्रभावी किए जाएंगे:-

(i) प्रस्तुतकर्ता और अदाकर्ता दोनों बैंक विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/ नियमों जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891, समाशोधन गृह विनियमावली, सीटीएस के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। सरकारी चेकों का भुगतान सीटीएस समाशोधन में चेकों के इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप के आधार पर किया जाएगा।

(ii) यदि कोई अदाकर्ता बैंक भुगतान के लिए पारित करने से पूर्व किसी सरकारी चेक को भौतिक रूप से सत्यापित करना चाहता है तो इसकी इमेज को ''दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें'' कारण के अधीन चेक को अदा किए बिना वापस किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि खाता धारक से कोई संपर्क किए बिना इस लिखत को समाशोधन के अगले लागू सत्र में पुनः प्रस्तुत कर दिया जाए।

(iii) प्रस्तुतकर्ता बैंकों से अपेक्षित है कि वे 10 वर्षों की अवधि तक चेकों को भौतिक रूप से सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में संरक्षित करेंगे जैसाकि सीटीएस के अंतर्गत अपेक्षित है। यदि विधि के अंतर्गत किसी अन्वेषण, जाँच आदि के प्रयोजन से कुछ विशिष्ट चेकों की आवश्यकता हो तो इन्हें 10 से अधिक वर्षों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। इसी प्रकार सभी सरकारी चेकों के इमेज को अदाकर्ता बैंक द्वारा 10 वर्षों तक संरक्षित रखा जाएगा।

(iv) नकद आहरण अथवा अंतरण के माध्यम से काउंटर पर अदाकर्ता बैंक द्वारा अदा किए गए सरकारी चेकों को भी ट्रंकेट (संक्षिप्त) किए जाने और 10 वर्षों की अवधि तक संरक्षित रखने की आवश्यकता है। पर्याप्त सुरक्षा बरती जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अदाकर्ता बैंक द्वारा ये इमेज अलग से ली (कैप्चर) जाएं और समाशोधन में भुगतान हेतु प्राप्त लिखतों की इमेजों के साथ मिलाया नहीं जाए। दैनिक आधार पर एक सामान्य इलैक्ट्रानिक फाइल सृजित की जाए जिसमें अदा किए गए सभी चेकों की इमेज हों।

(v) अदाकर्ता बैंक सरकारी विभागों को भुगतान स्क्रोल, मासिक डीएमएस आदि भेजना जारी रखें जैसाकि अब तक होता रहा है। अदा किए गए (नकद, समाशोधन और अंतरण के माध्यम से) चेकों से संबंधित इमेज को उनकी मात्रा के आधार पर आवश्यकता के अनुसार दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रूप में इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा सीडी के माध्यम से सरकार को भेजा जाना चाहिए।

(vi) समाधान, जाँच, अन्वेषण आदि के प्रयोजन से चेकों की परिरक्षण अवधि के दौरान कभी भी सरकार को किसी भी भुगतान किए गए चेक की भौतिक रूप में जरूरत हो सकती है, जिसके लिए वह प्रस्तुतकर्ता बैंक से संपर्क करेगी। जब कभी सरकार द्वारा ऐसी मांग की जाए तब अदाकर्ता बैंक नकद और अंतरण के माध्यम से अदा किए गए ऐसे चेकों को तुरंत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा। यदि ये चेक समाशोधन के माध्यम से अदा किए गए हों तो प्रस्तुतकर्ता बैंक से इसे प्राप्त करने के बाद उपयुक्त समय के भीतर इन्हें सरकार को भेजा जाए। प्रस्तुतकर्ता बैंक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह किसी भौतिक चेक से संबंधित सरकारी अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा संबंधित अदाकर्ता बैंक को इसे प्रस्तुत करे।

(vii) वर्तमान में सीटीएस को ग्रिड आधार पर परिचालित किया जा रहा है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक / एजेंसी बैंकों पर आहरित सरकारी चेक केवल ग्रिड के भीतर ही अदाकर्ता के पास प्रस्तुत किए जाएं।

(viii) जैसाकि अब तक होता रहा है, अदाकर्ता बैंक सरकारी विभागों को भुगतान स्क्रोल, मासिक डीएमएस आदि भेजना जारी रखें। वे यह सुनिश्चित करें कि दर्शाई गई गलतियों / विसंगितयों को प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जाए, अदा किए गए चेकों की खोई हुए इमेजों को तुरंत प्रस्तुत कर किया जाए, लोक लेखा कार्यालय द्वारा विधिवत सत्यापित स्क्रोलों की प्रतियाँ इसके रिकार्ड में रखी जाएं आदि।

# फेमा

## भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार

रिज़र्व बैंक ने 3 सितंबर 2014 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को सूचित किया कि मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक ऋणदाता निम्निलिखित शर्तों के तहत भारतीय रुपए में ऋण दे सकते हैं: (i) ऋणदाता द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से स्वैप के माध्यम से भारतीय रुपए जुटाए जाने चाहिए, (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार संविदा स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग, जैसी भी स्थिति हो, के लिए लागू सभी अन्य शर्तों को पूरा करती हो, (iii) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा प्रचलित बाजार शर्तों के अनुरूप हो, (iv) भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी स्वैप को कार्यान्वित करने के लिए मान्यताप्राप्त ऋणदाता, यदि चाहे तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकता है और (v) अनिवासी इक्विटी धारक द्वारा भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित हेजिंग व्यवस्था प्रचलित दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित होती रहेगी।

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

### विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक - हेजिंग सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने 8 सितंबर 2014 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को सूचित किया कि अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आगामी बारह माह के दौरान भारत में देय होने वाली ऋण प्रतिभूतियों में किए गए उनके निवेशों के प्रति जारी कूपन प्राप्तियों को हेज करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि उन्हें रद्द करने पर फिर से उनकी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्रतिभूतियां धारित करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए हेजिंग सुविधा बढ़ाने हेतु लिया गया है । फिर भी अगर कूपन राशि को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया हो तो संबंधित संविदा को परिपक्वता पर स्थगित (रोलओवर) किया जा सकता है ।

### उचित देयराशि के बदले इक्विटी शेयरों की निर्गम

रिज़र्व बैंक ने 17 सितंबर 2014 को सभी श्रेणी- I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया कि वे निवेश करने वाली कंपनी द्वारा देय अन्य निधियों के बदले इक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति दे, इन निधियों के विप्रेषण में फेमा, 1999 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों या जारी निदेशों के अंतर्गत वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधीन भारत सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय स्वचालित मार्ग के तहत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बाद दिया गया।

### स्वर्ण आयात विवरण पर आंकड़े

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2014 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया कि वे सितंबर 2014 को समाप्त छमाही से स्वर्ण के आयात संबंधी विवरणों की मैन्युअल रिपोर्टिंग के स्थान पर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली शुरू करें। विवरण https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/. से एक्सेस किए जा सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे सितंबर 2014 को समाप्त माह/छमाही के लिए विवरण सॉफ्ट कापी (एक्सबीआरएल के माध्यम से) और मैन्युअल विवरण (ई-मेल से एमएस-एक्सेल फाइल) प्रस्तुत करें। अक्टूबर 2014 माह से मैन्युअल विवरण (मासिक और छमाही) प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाएगा।

## सहकारी बैंकिंग

### शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियां और देयताएं वाणिज्यिक बैंकों को अंतरित करना

रिज़र्व बैंक ने 3 सितंबर 2014 को सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया कि शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियां और देयताएं वाणिज्यिक बैंकों को अंतरित करने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अधिग्राहक बैंक इस उपर्युक्त विलयन/आस्तियों और देयताओं के अंतरण से होने वाली कोई हानि वहन नहीं करे। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपए से अधिक जमाराशि धारण करने वाले प्रत्येक बड़े जमाकर्ता से अपेक्षित होगा कि वह लक्षित बैंक के जमाह्रास के अनुपात में घाटा उठाए।

## आंकड़ों का प्रकाशन

### पहली तिमाही में निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2014 को अपनी वेबसाइट पर वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2014) के दौरान गैर-वित्तीय निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के कार्यनिष्पादन संबंधी आंकड़े जारी किए।

संकलित किए गए आंकड़े 2,755 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं। तुलना के लिए वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही और वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही से संबंधित समान आंकड़े भी की चौथी तिमाही प्रस्तुत हैं।

## रिपोर्ट

### बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण पर समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 सितंबर 2014 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की।

रिज़र्व बैंक द्वारा इस समिति [अध्यक्ष: श्री जी. गोपालकृष्ण, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीयरिज़र्व बैंक और वर्तमान में उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (सीएएफआरएएल)] का गठन बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण हस्तक्षेप को सरलीकृत करने और बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए बदलावों का सुझाव देने के संबंध में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। इसके उद्देश्यों में जहां व्यवहार्य हो वहां प्रशिक्षण के क्षेत्र में उचित प्रमाणन तंत्र विकसित करना, ऐसे प्रमाणन के लिए संभावित प्रोत्साहनों की जांच करना तथा निम्नतम स्तर से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के पदानुक्रम स्तरों को कवर करना भी शामिल था।

समिति ने बैंकिंग उद्योग से प्राप्त प्रतिसूचना, सदस्य-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विभिन्न प्रशिक्षण/परामर्शदात्री संस्थानों से प्राप्त इनपुटों की जांच करने के बाद विस्तृत सिफारिशें की। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशे हैं:

(i) बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए दृष्टिकोण;

(ii) मानव संसाधन प्रबंध पद्धतियों में संवर्धन करना;

(iii) बैंकों में ''मुख्य शिक्षण अधिकारी'' के पद का सृजन और शिक्षण पर प्रतिफल की अवधारणा;

(iv) बैंकों में प्रतिभा के प्रतिस्थापन/भराई के मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां;

(v) कौशल विकास के लिए प्रक्रिया और कदम;

(vi) प्रशिक्षण कार्यनीति और क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की आवश्यकता;

(vii) बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम सहित कोचिंग और परामर्श;

(viii) भर्ती स्तर पर प्रविष्टि प्वाइंट अर्हताएं, सक्षमता मानकों का विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाणन/प्रत्यायन;

(ix) प्रविष्टि स्तरों पर एक सामान्य बैंकिंग अभिरूचि परीक्षा (बीएटी) का आयोजन करना;

(x) सामान्य संवर्ग और विशेषज्ञों के लिए अर्हताएं;

(xi) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में इ-लर्निंग;

(xii) बैंकिंग के प्रति उन्मुखी प्रशिक्षण/शिक्षण मूलभूत सुविधा;

(xiii) बैंकिंग क्षेत्र में नेतृत्व विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव;

(xiv) बैंकिंग क्षेत्र में कौशल विकास पर अनुसंधान विकसित करना और बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए निगरानी ढांचे का विकास;

(xv) बैंकिंग क्षेत्र के लिए कौशल रजिस्ट्री का सृजन;

रिपोर्ट की सिफारिशों को परिचालित करने के लिए ढांचा विकसित करने पर सुझाव/टिप्पणियां इमेल से या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय को 31 अक्टूबर को या इससे पहले भेजें।

**अल्पना किल्लावाला** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**